मध्यप्रदेश सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) नियम 1998

1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

2) परिभाषाएँ

3) राज्य समन्वय समिति का गठन

4) राज्य समन्वय समिति के कृत्य

5) समिति की शक्तियाँ

6) राज्य समन्वय समिति के सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्ते

7) समिति के सम्मिलन

8) सम्मिलन की सूचना तथा कामकाज सूची

9) गणपूर्ति

10) सम्मिलनों के कार्यवृत्त

मध्यप्रदेश सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) नियम 1998

क 35 - अठारह- 3 - 98 दिनांक 17 जुलाई 1998 ' - - सफाई कर्मचारी और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम 1993 (1993 का सं. 46) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् : -

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) नियम, 1998 'है ।

ये नियम उनके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे ।

2. परिभाषाएँ - - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : -

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है सफाई, कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का सं. 46);

(ख) 'समिति'' से अभिप्रेत है, धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन गठित राज्य सरकार समिति; ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, समिति का सदस्य और उसमें सम्मिलित है उसका अध्यक्ष और सदस्य-सचिव;

(ग) '' धारा' ' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ।

3. राज्य समन्वय समिति का गठन - - राज्य समन्वय समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी, अर्थात् : -

(एक) स्थानीय शासन का भारसाधक मंत्री अध्यक्ष

(दो) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या समाज कल्याण का भारसाधक मंत्री सदस्य

(तीन) अशासकीय संगठनों या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान और कल्याण में संलग्र सामाजिक कार्यकर्ताओं के दो प्रतिनिधि सदस्य

(चार) शासन के समाज कल्याण विभाग का सचिव सदस्य

(पांच) शासन के स्थानीय शासन विभाग का सचिव सदस्य

(छ:) संचालक, नगर प्रशासन सदस्य-सचिव

4. राज्य समन्वय समिति के कृत्य - - (1) राज्य समन्वय समिति का यह कृत्य होगा कि वह अधिनियम और मुख्य रूप से निम्न योजनाओं के क्रियांवयन की प्रगति का मूल्यांकन एवं पुनरावलोकन करें : (एक) शुष्क शौचालयों का जल-सील शौचालय में परिवर्तन;

(दो) जल-शील शौचालयों का सन्निर्माण तथा अनुरक्षण; और

(तीन) नियोजित सफाई कर्मचारियों का अन्य लाभप्रद उपजीविका में पुनर्वास ।

(2) उपनियम (1) की व्यापकता के अध्यधीन रहते हुए समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह न

(एक) सरकार द्वारा गठित प्रत्येक जिला स्तरीय समिति से ऐसे प्ररूप में, जैसा समिति विनिर्दिष्ट करे,

अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की रिपोर्ट ऐसे नियतकालिक अंतरालों पर जैसा कि समिति विनिश्चय करे, प्राप्त करें;

(दो) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में अधिनियम के क्रियान्वित होने से जो सफाई कर्मचारी बेरोजगार हुए हों उनके पुनर्वास के लिए बनी योजनाओं का पुनर्विलोकन करे;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा विरचित दिशा- निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे निर्देश देगा जैसे कि आवश्यक समझे जाएं;
(चार) प्रत्येक नगर या कस्बे के विमुक्त हुए सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता तथा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता को सम्मिलित करते हुए आकलन करें और ऐसे मामले में राज्य सरकार को अनुशंसा करे जिसमें स्त्रोत उन्नत किए जला हैं तथा व्यय को क्रमबद्ध किया जाना है;

(पांच) जाच करें तथा यह सुनिश्चित करें कि पुनर्वास सहायता जरूरतमंद तथा सुपात्र तक पहुंचे, और उपलब्ध स्थानीय नियोजन अवसरों को ध्यान में रखते हुए विमुक्त हुए सफाई कर्मचारियों को सर्वोत्तम तरीके से लाभप्रद नियोजन प्रदान करने के संबंध में अनुशंसा करें;

(छ) प्रत्येक वर्ष अप्रैल से सितम्बर तथा अक्टूबर से मार्च की अर्धवार्षिक कालावधि की समाप्ति से दो मास के भीतर अपने क्रियाकलापों तथा अनुशंसाओं के संबंध में अपने सदस्य-सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

5. समिति की शक्तियाँ - - अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में समिति : -

(क) जिला स्तरीय समिति, नगरपालिका, कार्यपालिक प्राधिकारी या किसी कार्यान्वयन अभिकरण से ऐसी जानकारी, रिपोर्ट, सांख्यिकी, आकड़े जो आवश्यक हों, बुलाएंगी तथा यथास्थिति जिला- स्तरीय समिति, कार्यपालिक प्राधिकारी या कार्यान्वयन अभिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी जानकारी, रिपोर्ट और सांख्यिकीय आकड़े तत्परतापूर्वक उपलब्ध कराए ।

(दो) किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में जहां अधिनियम लागू किया गया हो, क्रियान्वयन के मूल्यांकन तथा जांच के प्रयोजन से निरीक्षण हेतु स्वतंत्र होगी ।

(तीन) अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने सदस्य- सचिव के माध्यम से करेंगी ।

6. राज्य समन्वय समिति के सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्ते - - (1) समिति के अध्यक्ष तथा अन्य पदेन सदस्य उस हैसियत में तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि वे अपने-अपने पद उस आधार पर धारण करते हों, जिस पर कि उन्हें समिति में नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है ।

(2) समिति के अन्य सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(3) समिति के सदस्यों के सम्मिलिनों में उपस्थित होने और समिति के कार्य के संबंध में दौरे के लिए, मंत्री की सदस्य के रूप में नियुक्ति की स्थिति में मंत्रियों को लागू तथा विधायक की सदस्य के रूप में नियुक्ति की स्थिति में विधायकों को लागू यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा ।

(4) सदस्य सचिव का यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता उन नियमों से विनियमित होगा जो ऐसे सदस्य- सचिव पर राज्य सरकार से सेवक के रूप में लागू हो, यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता के प्रयोजन के लिए अशासकीय सदस्य राज्य सरकार के उच्चतम प्रवर्ग के सेवक माने जायेगे ।

7. समिति के सम्मिलन - - (1) समिति अपने कार्य करने के लिए जितनी बार आवश्यक समझे, सम्मिलन कर सकेगी परन्तु दो क्रमवर्ती सम्मिलनों के बीच दो मास से अधिक का समय व्यपगत नहीं होना चाहिए ।

(2) समिति के सम्मिलन सामान्यत: राज्य की राजधानी में आयोजित होगे :

परन्तु अध्यक्ष, राज्य सरकार की अनुज्ञा से किसी जिला या संभाग में क्रियान्वित की गई योजनाओं के पुनर्विलोकन या मूल्यांकन के लिए उस जिले या संभाग के मुख्यालय पर सम्मिलन बुला सकेगा ।

(3) राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश जिनकी योजानाओं का समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जाना है, के प्रतिनिधियों को सम्मिलन में उपस्थित होने तथा भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।

(4) संबंधित समिति का अध्यक्ष समस्त सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्षता के लिये चुनेगे ।

8 - सम्मिलन की सूचना तथा कामकाज सूची - (1) समिति का सदस्य-सचिव सम्मिलन की नियत तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व कार्यसूची के तथा कार्यसूची के प्रत्येक बिंदु पर संक्षिप्त टीप बनाकर समिति के सदस्यों को वितरित करेगा ।

(2) सूचना में सम्मिलन की तारीख, समय तथा स्थान और उसमें प्रस्तावित कामकाज विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(3) यथास्थिति अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता कर रहे सदस्य की अनुशा के बिना सम्मिलन में ऐसे किसी कामकाज पर विचार नहीं किया जाएगा जो कार्यसूची में सम्मिलन न हो ।

9. गणपूर्ति - - (1) समिति के प्रत्येक सम्मिलन की गणपूर्ति उसके एक-तिहाई सदस्यों से होगी ।

(2) यदि किसी सम्मिलन में गणपूर्ति विद्यमान नहीं है तो यथास्थिति अध्यक्ष या अध्यक्षता कर रहा सदस्य, तीस मिनट तक प्रतीक्षा करने के पश्चात् बैठक को उसी दिन के कुछ घंटों के लिए या अगले दिन के या किसी अन्य दिन के ऐसे समय के लिए स्थगित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे और ऐसे स्थगन की सूचना उपस्थित सदस्यों को देने के साथ ही समिति के सूचना फलक पर चिपकाई जाएगी और गणपूर्ति होने की स्थिति में मूल सम्मिलन के समक्ष जो कार्य लाये जाने थे, उन्हें स्थगित सम्मिलन के समक्ष लाया जाकर गणपूर्ति का विचार किए बिना निपटाया जाएगा ।

10. सम्मिलनों के कार्यवृत्त - - (1) प्रत्येक सम्मिलन के तत्काल पश्चात् सदस्य-सचिव द्वारा सम्मिलन का कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा तथा उसे यथास्थिति अध्यक्ष या अध्यक्षता कर रहे सदस्य को अगली आवश्यक कार्यवाही के लिए अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा । कार्यवृत्त की अनुमोदित प्रतियां समिति के सदस्यों को, उनकी टिप्पणियां यदि कोई हों, आमंत्रित करते हुए वितरित की जाएंगी ।
(2) उपनियम (1) के अधीन वितरित कार्यवृत्त समिति के समक्ष पुष्टि हेतु रखा जाएगा और यह ऐसे उपांतरणों यदि कोई हों, के अधीन होगा जैसा कि समिति उसमें करना उचित समझे और इस प्रकार अनुमोदित कार्यवृत्त को यथास्थिति अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता कर रहे सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और इस प्रयोजन से रखी गई पुस्तिका में प्रविष्ट किया जाएगा ।